was paid to them due to the preoccupation of the jail officials in a farewel party;

(c) whether this matter has been probed into and the findings thereof;

(d) if the answer to part (c) above be in negative the reasons therefor; and

(e) the action taken against the officials involved in the incident?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. Delhi Administration has reported that on 2.11.92, 78 clear cut release orders were received in Central Jail, Tihar, out of which 25 prisoners were released the same evening. The remaining 53 prisoners were released on the next day.

(c) to (e) Disciplinary proceedings have been initiated against three Deputy Superintendents and one Assistant Superintendent.

NRIs Registered under FCRA

3075. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether non-resident Indians come under the purview of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) what is the number and other details of NRIs who have been registered under FCRA, 1976 during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) and (b) The term "Non-Resident Indians" has not been defined in the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976. However, for regulating the Provisions of the said Act some of its provisions apply to the citizens of India resident outside India.

(c) Under the Provisions of the above-mentioned Act, individuals do not require registration for accepting any foreign contribution.

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लम्बित मामले

3076. श्री रामदेव भंडारी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सरकार द्वारा अग्रेषित स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के कितने आवेदन वर्तमान में केन्द्रीय सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) उनका जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) किस तारीख का आवेदन सबसे अधिक समय से लंबित है;

(घ) इन आवेदनों पर कार्यवाही करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) सामान्यतः इनके निष्पादन में कितना समय लगता है; और

(च) लंबित आवेदनों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (च) बिहार राज्य स्वाधीनता सेनानियों से, निर्धारित तिथि अर्थात् 31 मार्च, 1982 तक प्राप्त कोई भी आवेदन पत्र केन्द्र सरकार के पास लंबित नहीं है। तथापि, समय-समय पर आवेदन, राज्य सरकार के माध्यम से समीक्षा याचिकाएं भेजते रहते हैं। सबसे अधिक अवधि से विचार के लिए लंबित समीक्षा याचिका की तिथि 8.12.89 है। इस मामले में, राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। इस समय की स्थिति के अनुसार, सरकार के पास 1024 समीक्षा याचिकाएं विचार के लिए लंबित हैं। समीक्षा याचिकाओं की जिलावार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिये) इन समीक्षा याचिकाओं की प्राप्ति, इन पर विचार तथा इनका निपटान एक सतत प्रक्रिया है।